न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 25/2022 **दायर दिनांकः 20/09/2022**

उनवान

1. बिरदीबाई आयु 53 वर्ष पुत्री धुलीलाल पत्नि छीतरलाल जाति कुम्हार निवासी केरवालिया तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी ढाबा देह कमालपुरा कोटा राज0।

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—
प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
अप्रार्थीः— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 12/11/2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल सरसोदिया पटवार हल्का केरवालिया तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 105 का ख0नं0 109 का रकबा 0.22 है0 आराजी प्रार्थिया एवं अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित है। जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा 1/42 दर्ज है। नवीन नकल जमाबन्दी संवत 2074—77 साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों ने प्रार्थिया को घर पर बोतबाई कहने के कारण प्रार्थिया का नाम बोतबाई गलत दर्ज कर दिया है। जबकि प्रार्थिया का सही नाम बिरदी बाई है। प्रार्थिया के दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक डायरी, श्रमिक कार्ड, ग्राम पंचायत केरवालिया का प्रमाण पत्र में प्रार्थिया का नाम बिरदी बाई सही दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम

बोतबाई के स्थान पर सही नाम बिरदी बाई दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम बिरदी बाई सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पडेगा। अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम बोतबाई के स्थान पर सही नाम बिरदीबाई दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का बोतबाई के स्थान पर सही नाम बिरदी बाई दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं कर सीधे बहस करने का निवेदन किया। साक्ष्यवादी के तहत pw1 बिरदीबाई पुत्री धूलीलाल जाति कुम्हार निवासी केरवालिया हाल कमालपुरा कोटा के सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने अपन सशपथ गवाह बयानों में बताया कि मेरे शामलाती खाते में खाता संख्या 105 ख0नं0 109 का रकबा 0.22 है0 दर्ज खाता है जिसमें मेरा हिस्सा 1/42 दर्ज है। मुझे घर पर बोतबाई कहने के कारण राजस्व जमाबन्दी में मेरा नाम गलत दर्ज कर दिया मेरा सही नाम बिरदी बाई है। मेरा नाम दस्तावेजों के आधार पर सही नाम बोतबाई के स्थान पर बिरदीबाई दर्ज कियेा जावें।

3. अभिभाषक प्रार्थीया की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का सही नाम बोतबाई के स्थान पर बिरदीबाई दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

राष्ट्रीय लोक अदालत में अप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार अटरू उपस्थित हुऐ। अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थिया के अनुतोष को न्यायालय में सहमति से स्वीकार किया।

4. अभिभाषक प्रार्थी व पेराकार सरकर की बहस के प्रकाश में उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सरसोदिया की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 105 के ख0नं0 109 रकबा 0.22 है0 भूमि शामलाती खाते में दर्ज है जिसमें प्रार्थिया का नाम बोतबाई पुत्री धूलीलाल हिस्सा 1/42 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तुत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों प्रार्थीया का नाम आधार कार्ड में बिरदी बाई पत्नि छीतरलाल, जनआधार कार्ड में बिरदी बाई, मतदाता पहचान पत्र में बिरदीबाई, ई श्रम कार्ड में बिरदी बाई, बैंक पासबुक बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक में बिरदीबाई, राशन कार्ड में बरधी दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थिया का सही नाम बिरदी बाई है।

5. अतः रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल सरसोदिया की आराजी खाता संख्या 105 के ख0नं0 109 रकबा 0.22 है0 आराजी में सहखातेदार बोतबाई पुत्री धुलीलाल के स्थान पर बिरदी बाई उर्फ बोतबाई पुत्री धुलीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां